निर्धन को आवास के वादे के साथ इन्दिरा आवास योजना के 25 साल

डॉ. सुरेन्द्र यादव

आवास मानव की आधारभूत आवश्यकता है यह स्पष्टतः एक निर्धन व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा एवं आर्थिक सुरक्षा से जुडा मुद्दा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र के आवासों की स्थिति को लेकर अत्यन्त गम्भीर रही है। वर्ष 1957 में एक ग्रामीण आवास योजना व्यवहार में क्रियान्वित की गई परन्तु दुर्भाग्यवश यह योजना कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सकी इस योजना द्वारा 1980 तक मात्र 67000 आवासों का निर्माण किया गया। अस्सी के दशक के प्रारम्भ में ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रमीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ आवास निर्माण संबंधी गतिविधियां संचालित की गई परन्तु ये सभी समस्या के समक्ष बोने प्रयास ही साबित हुये।

अन्ततः ग्रमीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना की एक उप योजना के रूप में निर्धन को छत तथा सहायता के वादे के साथ वर्ष 1985–86 में इन्दिरा आवास योजना को प्रारम्भ किया गया। अपने प्रारम्भ से वर्तमान तक यह योजना अनेक पडावों से होकर गुजरी है। इस योजना का प्रथम पडाव अप्रेल, 1989 में आता है जब इसे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना से हटा कर जवाहर रोजगार योजना की उप योजना के रूप में लागू किया गया। वर्ष 1993–94 में इस योजना का दायरा बढाकर गेर अनुसुचित जाति जनजाति को भी लाभान्वित करने का प्रयास किया गया। अन्ततः 1 जनवरी, 1996 से यह एक स्वतंत्र योजना के रूप में अस्तित्व में आयी। इसका एक नया परिष्कृत रूप 1999–2000 में तब सामने आया जब इन्दिरा आवास योजना के तहत कच्चे मकानों के उन्नयन हेतु अनुदान की व्यवस्था के साथ–साथ कम लागत, आपदारोधी एवं पर्यावरण अनुकूल आवासों के निर्माण पर मुख्य रूप से बल दिया जाने लगा।

इन्दिरा आवास योजना का मुख्य उदेश्य सरकार के गरीबी उन्मूलन प्रयासों को सुढड करते हुये ग्रमीण क्षेत्र में वास करने वाले निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहे परिवारों को आवास प्रदान करना है ताकि ऐसे परिवारों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हो सके।

इन्दिरा आवास योजना लागत हिस्सेदारी पर आधारित केन्द्र प्रवर्त्तीत योजना है। जिसके लिए कोष का प्रबन्ध प्रारम्भ में केन्द्र व राज्य के मध्य 80:20 के अनुपात में योगदान के आधार पर होता था परन्तु वर्ष 1999–2000 से कोष में योगदान का अनुपात परिवर्त्तीत कर 75:25 कर दिया गया। पूर्वोत्तर राज्यों की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों के सन्दर्भ में निधियों का वहन 90:10 के अनुपात में किया जाता है।

प्रारम्भ में योजनान्तर्गत लक्ष्य समुह में ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे ऐसे लोग जो अनुसूचित जाति जनजाति के हो अथवा बन्धुआ मजदूरी से मुक्त कराये गये श्रमिक हो को शामिल किया गया था। वर्ष 1994–95 से ऐसे गेर अनुसूचित जाति जनजाति परिवार जो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे को भी योजना के अन्तर्गत लाया गया। वर्ष 1995–96 में पुनः संशोधन करते हुये युद्ध में मारे गये रक्षा एवं अर्द्ध सैन्य बलों के जावानों की विधवाओं को आय संबंधि मापदण्ड पर विचार किये बिना अन्यथा पत्रता रखने पर लक्ष्य समुह में शामिल किया गया।

इन्दिरा आवास योजना के तहत विभिन्न लक्षित समुहों को कोष में निश्चित कोटा प्रदान किया गया है। योजना आवंटन का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारो को 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांगो के लिए 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए एवं 5 प्रतिशत प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित पुनर्वास हेतु आरक्षित रखा जाता हैं।

लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए लाभार्थियों के चयन का कार्य पंचायत राज संस्थाओं विशेषतः ग्राम सभा को सौप दिया गया है। लाभार्थियों का चयन कर ग्राम पंचायत वार स्थायी प्रतीक्षा सूचियां बनाई गई है। इसी सूची के आधार पर क्रमिक रूप से इन्दिरा आवासों का आवंटन किया जाता है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा संघ क्षेत्रों एवं राज्यों के माध्य संसाधनों का आवंटन दो आधारों पर किया जाता है। ये दो आधार निम्न है :–

1. आवास की कमी
2. राज्य/संघ क्षेत्र में निर्धनता का प्रतिशत

निर्धनता का निर्धारण योजना आयोग के प्राक्लनों के आधार पर किया जाता है जबकि आवास की कमी की जानकारी जनगणना आंकडों से होती है। लक्ष्य निर्धारण एवं आवंटन करते समय उपरोक्त दानों चरो को क्रमशः 75 और 25 प्रतिशत का भार दिया जाता है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला स्तर पर लक्ष्यों एवं संसाधनों का आवंटन दो भिन्न आधारों पर किया जाता है ये है :–

1. आवास की कमी
2. अनुसूचितजाति एवं जनजाति की जनसंख्या

इन दोनो मापदण्डों को क्रमशः 75 और 25 प्रतिशत का भार दिया जाता है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु जारी होने वाली राशि समय–समय पर मंहगाई के आधार पर परिवर्तित होती रही है। योजना के प्रारम्भ में अनुदान की यह राशि मैदानी क्षेत्रों में 7200 एवं पहाडी क्षेत्रों में 9000 रूपये थी साथ ही 3000 रूपये आधार सुविध सृजन के लिए दिया जाता था। नब्बे के दशक में इस राशि में बढोत्तरी करते हुए मैदानी क्षेत्रों के लिए 20000 रूपये एवं पहाडी क्षेत्रों के लिए 22000 रूपये कर दी गई। वर्ष 2004 में पुनः परिवर्तन करते हुए इसे क्रमशः 25000 एवं 27500 रूपये कर दिया गया। अप्रेल, 2008 से अनुदान की राशि फिर से बढोत्तरी की गई और इसे 35000 और 38500 रूपये कर दिया गया है साथ ही आवास अन्नयन के लिए वित्तीय सहायता 15000 रूपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी का 4 प्रतिशत ब्याज पर 20000 रूपये तक का ऋण उपलब्ध करावाने की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से की गई है। बजट 2010–11 में पुनः संशोधन करते हुये अनुदान राशि मैदानी एवं पहाडी क्षेत्रों में क्रमशः 45000 एवं 48500 रूपये कर दी गई।

इन्दिरा आवास योजना के आवासों का आवंटन अनिवार्यतः परिवाार की महिला सदस्य के नाम किया जात है। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों में ठेकेदारों को कार्य पर लगाने पर पुर्णतः प्रतिबन्ध है।

निर्धनता एवं आवासहीनता की गम्भीर समस्या से लडने के लिए इन्दिरा आवास योजना केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। योजना ने अपने सम्पूर्ण काल में निर्धनों को छत प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। 01 अप्रेल, 1985 से 31 दिसम्बर, 2009 तक योजना ने 5018934.72 लाख रूपये का व्यय करके 216.38 लाख रूपये आवासों का निर्माण किया है। योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्न सारणी में स्पष्ट है।

इन्दिरा आवास योजना शुरूआत से लकर अब तक योजनावार/वर्षवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति
(लाख रूपये में)

वर्ष	आवंटन			रिलीज			उपयोग	आवासों की संख्या	
	केन्द्रीय	राज्य मैचिंग अंश	कुल	केन्द्रीय	राज्य मैचिंग अंश	कुल		लक्षित	निर्मित/उन्नयन किए गए

सातवी पंचवर्षीय योजना (1985–86 से 1989–90)									
1985–1986	10553.84	2632.58	13186.42	10553.84	2632.58	13186.42	5793.29	144080	51252
1986–1987	13214.80	3296.18	16510.98	13214.80	3296.18	16510.98	14918.30	158270	160197
1987–1988	13216.40	3296.58	16512.98	13216.40	3296.58	16512.98	23536.90	158270	169302
1988–1989	11178.02	2788.17	13966.19	11178.02	2788.17	13966.19	14964.86	134705	139192
1989–1990	12579.82	3138.51	15718.33	12579.82	3138.51	15718.33	18849.49	151323	186023
कुल	60742.88	15152.02	75894.90	60742.88	15152.02	75894.90	78062.84	746648	705966
2. वार्षिक योजना (1990–91 से 1991–92)									
1990–1991	12582.29	3141.80	15724.09	12582.29	3141.80	15724.09	21307.45	122016	181800
1991–1992	12582.29	3141.80	15724.09	12582.29	3141.80	15724.09	26300.80	120542	207299
कुल	25164.58	6283.60	31448.18	25164.58	6283.60	31448.18	47608.25	242558	389099
3. आठवी पंचवर्षीय योजना(1992–93 से 1996–97)									

1992–1993	17921.10	4475.19	22396.29	17921.10	4475.19	22396.29	23883.51	117133	192585
1993–1994	25460.00	6352.30	31812.30	25460.00	6352.30	31812.30	48099.95	280363	372535
1994–1995	35025.66	8743.73	43769.39	35025.66	8743.73	43769.39	50038.38	353353	390482
1995–1996	109499.00	27335.33	136834.33	117077.76	29225.01	146302.77	116636.44	1147489	463889
1996–1997	114000.00	28460.61	142460.61	117936.22	29439.41	147375.63	138592.42	1123560	806290
कुल	301905.76	75367.16	377272.92	313420.74	78235.64	391656.38	377250.70	3021898	2625781
4. नौवी पंचवर्षीय योजना(1997–98 से 2001–02									
1997–98	115300.00	28785.26	144085.26	11711.14	27887.75	139598.89	159147.85	718326	770936
1998–99	148400.00	37062.48	185462.48	147794.72	36925.02	184719.74	180388.45	987470	835770
1999–2000	160000.00	53235.00	213235.00	143838.56	47923.04	191761.60	190763.87	1271619	925679
2000–01	161369.00	53691.34	215060.34	152193.66	50672.34	202866.00	218580.59	1244320	1170926

2001–02	161800.00	53825.47	215625.47	186974.40	62237.56	249211.96	214955.51	1293753	1171081
कुल	746869.00	226599.55	973468.55	742512.48	225645.71	968158.19	963836.27	5515488	4874392
5. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–03 से 2006–07)									
2002–03	165640.00	55102.93	220742.93	162852.86	54245.15	217098.01	279496.46	1314431	1548641
2003–04	187050.00	62225.02	249275.02	187107.78	62306.61	249414.39	258009.69	1484554	1361230
2004–05	246067.00	81857.92	327924.94	288310.02	95941.83	384251.85	326208.64	1562356	1521305
2005–06	273240.00	90893.91	364133.91	273822.58	91254.72	365077.30	365409.05	1441241	1551923
2006–07	290753.00	96719.83	387472.83	204813.05	68251.42	273064.47	239301.82	1533498	816038
कुल	1162750.00	386799.61	1549549.61	1116906.29	371999.73	1488906.02	1468425.66	7336080	6799137
6. ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना									
2007–08	404000.00	–	–	388237.00	264480.00	652717.00	546454.00	2127000	1992000
2008–09	880000.00	–	–	879579.00	566456.00	1446035.00	834834.00	2127000	2134000

2009–10	880000.00	–	–	584630.00	547855.00	1132485.00	702463.00	4052000	2118000
कुल	2164000.00	–	–	1852446.00	1378791.00	3231237.00	2083751.00	8306000	6244000
महा योग	4461432.00	–	–	4111192.97	207610.77	6187300.67	5018934.72	25168672	21638375

वर्ष 2009–10 के आंकडे 31 दिसम्बर, 2009 तक के है।

स्त्रोंत– ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार

उपरोक्त आंकडे सुनहरी तस्वीर प्रदर्शित करते है। मात्र 57.93 करोड रूपये के व्यय से प्रारम्भ हुई यह योजना आज प्रतिवर्ष सात हजार करोड रूपये 21 लाख रूपये से अधिक व्यय प्रतिवर्ष कर रही है। इस विशाल व्यय के साथ योजना 21 लाख से अधिक आवासों का प्रतिवर्ष निर्माण कर रही है। आंकडे दर्शाते है कि पिछले 25 वर्षो में योजना ने आवास समस्या के संबंध में व्यापक प्रगति दर्ज की हैं परन्तु अभी इस दिशा में और अधिक प्रसासों की जरूरत है। निश्चित ही इन्दिरा आवास योजना के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र अपनी आवास समस्याओं पर विजय पाने में सफल होगा।

व्याख्याता
एस एस जैन सुबोध पी जी महाविद्यालय

संदर्भिका

1. Rural housing in India: Problems and prospects; new Delhi, ministry of Rural Development, GOI 2002
2. आर्थिक समीक्षा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार , 1994 – 95, 1998 – 99, 1999 – 00, 2000 – 01, 2001 – 02, 2002 – 03, 2003 – 04, 2004 – 05, 2005 – 06,
3. वार्षिक प्रतिवेदन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 1995 – 96, 1996 – 97, 1997 – 98, 1998 – 99, 1999 – 00, 2000 – 01, 2001 – 02, 2002 – 03, 2003 – 04, 2004 – 05,
4. ग्रामीण आवास योजनाएं, दिशा – दिर्नेश –2000. राष्ट्रीय ग्रामीण आवास और पर्यावास मिशन.,ग्रामीण विकास मंत्रालय , भारत सरकार , 2000
5- guidelines for Indira Awaas Yajana - 2004, Ministry of rural development, GOI , 2004.